उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद संख्या– 13/2019–20
मो0 निजाम
–बनाम–
राज्य सरकार वगै0

–: आदेश :–

19/05/23

प्रस्तुत वाद अपीलार्थी की ओर से विज्ञ अधिवक्ता द्वारा म्यूटेशन वाद सं0–11/18–19 मो निजाम –बनाम– कुमार मनोज प्रिय वगै0 में दिनांक– 23.09.2019 को पारित आदेश के विरूद्व दायर किया गया। साथ ही विलम्ब से अपील स्वीकृति हेतु लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दाखिल किया गया।

अपील मेमो के आधार पर न्यायालय द्वारा पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया एवं न्यायालय ज्ञापांक– 17/डी0बी0, दिनांक– 03.03.2020 से मूल अभिलेख की मांग किया गया। नोटिस का तामिला प्राप्त। उभय पक्ष उपस्थित। अंगीकृत के बिन्दु पर सुनने के पश्चात संतुष्ट होकर अपील अंगीकृत किया गया तथा निम्न न्यायालय से पत्रांक– 40/भू0सू0, दिनांक– 03.07.2020 से मूल अभिलेख प्राप्त।

अपील आवेदन में दर्शाया गया है कि वर्त्तमान विवाद अंचल– राजमहल, मौजा– मालकशवा, जमाबंदी नं0– 90/149, दाग नं0– 720, रकवा– 00–01–16 धूर भूमि को लेकर उत्पन्न हुआ है। अंचल अधिकारी, राजमहल ने राजस्व कर्मचारी और अंचल निरीक्षक के रिर्पोट पर उत्तरवादी के पक्ष में दिनांक– 20.02.2009 को आदेश पारित कर दिया जबकि सर्व प्रथम पक्षकारों एवं 16 आना रैयत को नोटिस निर्गत कर आपत्ति आमजन आमंत्रण मॉगना था। लेकिन अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। और शुद्विपत्र भी जारी कर दिये।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा दिनांक– 20.02.2009 को नामांतरण वाद सं0–1017/08–09 में पारित आदेश के विरूद्व विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के न्यायालय अपील वाद दायर कर दिये। जिसका नामांतरण अपील वाद सं0–11/18–19 मो0 नेजाम –बनाम– कुमार मनोज प्रिया मौजा– मालकसवा दायर कर दिये।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रश्नगत भूमि सकली कुरमीन के नाम से है जिन्हे एक पुत्री राधा देवी थी। दोनो की मृत्युपरांत उक्त भूमि राधा देवी की पुत्री रूकमनी देवी का पूर्ण निष्ठा के साथ तत्परता के साथ सेवा सुभुषा करने लगा। इसी कारण वश रूकमनी देवी ने अपीलार्थी के द्वारा कृत सेवा के कारण एक अनिबंधित केवाला के माध्यम से अपीलार्थी को सड़क किनारे से एक कमरा जो 18′ लम्बा और 12′ चोड़ा भूमि सहित मई 1978 को गुलाम नवी, मोहम्मद महसूद

Scanned with OKEN Scanner

के समक्ष दान स्वरूप दखल दे दिये। उक्त कमरा में वर्ष 1978 से ही अपीलार्थी भोग दखल में रहकर तोसक तकिया और Pivow इत्यादि व्यापार करते आ रहे है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अंचल कर्मचारी द्वारा स्थानीय जाँच नहीं किया गया बल्कि टेबूल रिर्पोट समर्पित किया गया है। जबकि उत्तरवादी नाथनगर भागलपुर बिहार में रहते है। उक्त भूमि पर उनका कोई दखल अथवा दावा नहीं बनता है। इसलिए निम्न न्यायालय में विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के द्वारा दिनांक– 23.09.2019 को पारित आदेश खारिज (Set-aside) करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि राजमहल थाना अन्तर्गत मौजा– मालकसवा थाना नं0– 86 खाता सं0– 90/149, दाग नं0– 720 रकवा 00–01–16 धूर भूमि खतियानी रैयत सकली कुर्मीन के नाम से खतियान मे दर्ज है। सकली कुर्मीन को एक पुत्री राधा देवी थी। राधा देवी को दो पुत्री रूकमनी देवी एवं जानकी देवी थी। रूकमनी देवी की मृत्यु नावल्द हो गयी। दूसरी ओर जानकी देवी को तीन पुत्र क्रमशः 1. कुमार मनोज प्रिया 2. कुमार विनोद प्रिया तथा 3. अमिता प्रिया है। जो उपरोक्त वर्णित भूमि पर वंशानुगत उत्तराधिकारी होने के नाते उत्तरवादीगण अपना स्वामित्व हेतु विवाद कर रहे है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा पुनः तर्क दिया गया कि अपीलार्थी का यह दावा गलत है कि उनहें रूकमनी देवी द्वारा अनिबंधित केवाला के माध्यम से 18' चौड़ा 12' लम्बा भूमि दान–पत्र के माध्यम से दिया गया है। अनिबंधित केवाला मान्य नही है। रजिस्टेशन एक्ट की धारा 17 के अन्तर्गत दान–पत्र का निबंधन अनिवार्य है। अनिबंधित केवाला किसी भी परिस्थिति में ग्राहय नहीं है। जबकि उत्तरवादी के पक्ष में नामांतरण की स्वीकृति नामांतरण वाद सं0– 1017/2008–2009 में दिनांक– 20.02.2009 को कुल रकवा 01 कठ्ठा 16 धूर भूमि का उसके शांति पूर्ण भोग दखल, कब्जा वो स्वत्व अधिकार के आधार पर किया गया है। जिसे अपीलार्थी 11 वर्षा बाद माननीय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के न्यायालय में चुनौती दिया गया इसलिए अपीलार्थी का अनिबंधित दान–पत्र विचार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि रूकमनी देवी मरनोपरांत उसका दाह संस्कार और श्राद्व कर्म उत्तरवादीगण किये है। प्रश्नगत भूमि नगर पंचायत, राजमहल मुख्य बाजार स्टेशन चौक से आगे है। मुख्य सड़क पर दो मंजिला मकान है जिसमें नीचे दुकान है। उपर उत्तरवादीगण निवास करते है। नीचे की दुकान अपीलार्थी को भाड़ा पर दिया गया था। वर्त्तमान में उत्तरवादी को रोजगार के लिए दुकान की आवश्यकता है। इसलिए अपीलार्थी को दुकान खाली करने पर खाली नहीं करते हें उत्तरवादी को भाड़ा देना बंद कर दिये है और दुकान बंद रखे है। इसलिए उत्तरवादी का लिखित बहस स्वीकार करते हुए अपीलार्थी का अपील खारिज करने तथा अपने पक्ष में आदेश पारित करने का अनुरोध उत्तरवादीगण द्वारा किया गया हैं

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। निम्न न्यायालय का अभिलेख तथा उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि को लेकर

Scanned with OKEN Scanner

की एवं	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही

पक्षकारों के बीच स्वामित्व अधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न है। जिसका निबटारा राजस्व न्यायालय में नहीं की जा सकती है। इसलिए निम्न न्यायालय का आदेश यथावत रख जाता है। स्वामित्व अधिकार के लिए पक्षकार समक्ष न्यायालय जाए। इसी आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

19/12/23

उपायुक्त,
साहेबगंज।

19/12/23

उपायुक्त,
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2025.08.25 11:49:08 +05:30
Location: 192.168.0.141

Scanned with OKEN Scanner